

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
(उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना)

पत्रांक 42 / पटना, दिनांक 11/01/025

प्रेषक,

उप विकास पदाधिकारी,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

सेवा में,

1. सुरेन्द्र पासवान (गोदना) (मधुबनी पेंटिंग)
पिता—श्री राम परीक्षण पासवान,
पता—श्रीपुर हाटी, पण्डौल, जिला—मधुबनी।
मो0—8368320796
2. श्रीमती हेमा देवी (मधुबनी पेंटिंग)
पति—श्री नवीन कुमार झा,
ग्रा0+पो0—कोइलख, रामपट्टी, जिला— मधुबनी।
मो0—9570389149
3. फिरंगी लाल गुप्ता (पाषाण शिल्प)
पिता—स्व0 रामअधार साह,
ग्रा0—केशरी, पो0—छोटा अमाव,
जिला—कैमूर (भमुआ)। मो0—9795539096
4. सुशीला देवी (एप्लिक/कसीदा शिल्प)
पति—श्री सुरेश शर्मा,
पता—गोलघर पार्क रोड, पो0—जी0पी0ओ0, थाना—गोंधी मैदान,
जिला—पटना। मो0—9386940200
5. मो0 जाहिद हुसैन, (चर्म शिल्प)
पिता— मो0 सुलेमान, ग्रा0—बरही,
जिला—दरभंगा। मो0— 7632856848
6. श्री भोला कुमार पंडित (सहायक प्रशिक्षक, टेराकोटा शिल्प)
पिता—श्री राम लखन पंडित,
ग्राम+पो0— मंधरौनी, बिहार।
मो0 नं0—8298635731
7. दिव्या रानी सिंह, (जूट शिल्प)
पति— सुबोध कुमार,
पता—आदर्श कालोनी, केशरी नगर,
जिला—पटना। मो0—9199930764

8. पुजा कुमारी, (टिकुली पेंटिंग)
पिता-राम बाबू शर्मा,
पता-रामजीचक, बाटागंज, दीघा, पटना।
मो0-9334215493, 6201718932
9. श्री पप्पू कुमार, (सिक्की कला)
पिता- प्रभु दास,
पता- ग्राम+पो0- सिंघौल, थाना- मुफसिल,
जिला- बेगुसराय।
मो0 नं0-8709441494
10. सुनील कुमार शर्मा, (काष्ठ कला)
पिता-स्व0 हरिनाथ शर्मा,
पता-मुबारकपुर, पो0-दानापुर कैन्ट,
जिला-पटना।
मो0 नं0-7903934525
11. अमन अग्रवाल, (बुनाई शिल्प)
जन्म तिथि-06.03.1999
पता-सी-76 चंद्रपुरी, प्रेमनगर,
बरेली, उत्तर प्रदेश। मो0-9027589725
12. गोपाल कृष्ण दामोर, (सेरामिक शिल्प)
ग्रा0-कटरवास कलान खेरवां, उदयपुर,
राजस्थान। मो0- 8003450334
13. माला सिन्हा, (गुड़िया शिल्प)
पति-श्री अनिल कुमार,
ग्रा0-श्यामा मार्केट, न्यू एरिया,
जक्कनपुर, जिला-पटना। मो0-9334712500

विषय- संबंधित शाखा के प्रशिक्षक के रूप में योगदान देने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में प्रशिक्षण सत्र जनवरी से जून, 2025 हेतु तीन माह का बेसिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक के रूप में आपका चयन किया जाता है। साथ ही तीन माह का एंडवास प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक के रूप में आपका कार्य अवधि का विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि सरकार द्वारा घोषित राजपत्रित अवकाश के अलावा और किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कार्य दिवस में अनुपस्थिति रहने पर आपके मानदेय से कटौती की जायेगी। विदित हो कि प्रत्येक शाखा में न्यूनतम 5 प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगा अगर शाखा में प्रशिक्षणार्थी की संख्या 02 या 02 से कम रहने पर वर्तमान सत्र में उस शाखा को बंद किया जा सकता है तथा उस शाखा के प्रशिक्षक को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 13.01.2025 को पूर्वा० 10:00 बजे से अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

उक्त पर निदेशक, संस्थान का अनुमोदन प्राप्त है।


विश्वासभाजन



उप विकास पदाधिकारी,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

ज्ञापांक 49 / पटना, दिनांक 11/01/25

प्रतिलिपि :- संबंधित शाखा प्रभारी / प्रशिक्षक / आई०टी० एण्ड एम० आई० एस० एक्सपर्ट, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप विकास पदाधिकारी,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।